

11022-1-77-AIS(II)(H)

सं० 11022/1/77-अ०भा०सं०(11)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

नई दिल्ली-1 दिनांक

7 जुलाई, 1977

सेवा में,

सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव,

विषय:- अखिल भारतीय सेवार (छुट्टी यात्रा रियायत) नियम, 1975 ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 14 फरवरी, 1977 के समसंख्यक पत्र के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि चूंकि अखिल भारतीय सेवार (अक्षरणा) नियम, 1968 के नियम 19 क के अधीन निर्धारित नियत तिथि जो दिनांक 8-12-76 की अधिसूचना संख्या 11017/49/76-अ०भा०सं०(111) के द्वारा जोड़ी गई है वह 31 दिसम्बर, 1977 है, अतः यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 17-11-76 के कार्यालय जापन संख्या 31011/4/77-स्थापना(क) में दी गई नियत तिथि 30 सितम्बर-1977 अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों पर लागू नहीं होगी ।

(बी० कै० चैरियन)
डेस्क अधिकारी

संख्या 11022/1/77-अ०भा०सं०(11) दिनांक

जुलाई, 1977

प्रति अनुलग्नक की प्रति सहित, निम्नलिखित की प्रेषित:-

- 1- सभी लेखकार ।
- 2- भारत के विभाग नियंत्रक तथा महसिलकार परीक्षक ।
- 3- कृषि विभाग(स०आई० एस०1) अनुभाग ।
- 4- गृह मंत्रालय (यू०टी०एस० अनुभाग/पर्स-11 अनुभाग)
- 5- अ०भा०सं०(1)/अ०भा०सं०(11)/अ०भा०सं०(111) तथा 4 अनुभाग/
गार्ड फाईल ।

(बी० कै० चैरियन)
डेस्क अधिकारी